2021/138

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री मिटठनलाल आर्यप्रेमी पुत्र श्री भगवानराव
जाति आर्यप्रेमी
निवासी मनन क्लिनिक पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 50 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.08.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 04.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा संलग्न पत्र सं. 1 में दर्शाए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं संलग्न पत्र सं. 2 में अपीलार्थी के नाम की जमाबन्दी नकल व राज हक में समर्पण पत्र का सबूत नया खसरा सं. 181 व 182 एवं संलग्न पत्र सं. 3 में हंसा तोलाजी का नाम खसरा नं. 181 व 182 व संलग्न पत्र सं. 4 में जिन्हें आवंटन किया है वह किस आधार पर किया गया है। उक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 04.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा संलग्न पत्र सं. 1 में दर्शाए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं संलग्न पत्र सं. 2 में अपीलार्थी के नाम की जमाबन्दी नकल व राज हक में समर्पण पत्र का सबूत नया खसरा सं. 181 व 182 एवं संलग्न पत्र सं. 3 में हंसा तोलाजी का नाम खसरा नं. 181 व 182 व संलग्न पत्र सं. 4 में जिन्हें आवंटन किया है वह किस आधार पर किया गया है। उक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 263 दिनांक 30.06.2021 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए सूचित कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा मांगी गई कुछ सूचना तहसील पिण्डवाडा से सम्बन्धित है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें एवं उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को निर्देशित किया जाता है कि जो सूचना तहसील पिण्डवाडा से सम्बन्धित है उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को [illegible] कर अपीलार्थी को सूचित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.10.15 12:12 (भगवती प्रसाद) Reason: SelfAttested जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner